न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बईलास राजेश डागा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 21/20 दावा

निर्णय दिनांक 26.08.2020

बउनवान

रामनाथ पुत्र स्व0 गोपाल जी, आयु 64 वर्ष, जाति मीणा, निवासी ग्राम तूमडा तहसील कनवास जिला कोटा

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।
2. परियोजना अधिकारी, भारत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन. दिल्ली बडौदरा 8 लेन इन्द्रा बिहार कोटा राजस्थान।
3. मांगीलाल पुत्र स्व0 गोपाल।
4. शातिलाल पुत्री स्व0 प्रभूलाल जाति मीना निवासी ग्राम कादिहेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
5. मांगीबाई पुत्री स्व0 प्रभूलाल जाति मीना निवीी कादिहेडा तहसील लाडपुरा।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र सिंह।

प्रतिवादीगण 03 लगायत 05 की ओर से एडवोकेट महेश कुमार मालव।

राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 आर.टी.एक्ट

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी व प्रतिवादी गण की संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम तूमडा पटवार हल्का कुराड भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कुराड तहसील कनवास जिला कोटा के खाता संख्या नया 61 पुराना 29 की खसरा संख्या 24 रकबा 1.9000 हैक्टेयर खसरा सख्या 25 रकबा 1.6000हेक्टेयर खसरा संख्या 26 रकबा 1.7000 हैक्टयर ,खसरा संख्या 27 रकबा 0.1100 हेक्टेयर कुल किता चार की कुल रकबा 5.3100 हेक्टेयर भूमि मौके पर स्थित है। जिसमें से खसरा नंबर 25 की रकबा 1.6000 एवं खसरा संख्या 27 की रकबा 0.1100 हेक्टेयर भूमि वादी के काबीज काशत में चली आ रही है। जिसके रेवेन्यू रिकॉर्ड नकल, जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि इस दावे के साथ संलग्न है, जो दावे का भाग है

2. यह कि उक्त संयुक्त खातेदारी कि भूमि में से खसरा संख्या 24, 26 की मौके पर भूमि प्रतिवादी कम 4 व 5 के हिस्से में काबीज कास्त चली आ रही है, मौखिक रूप से बंटवारे व इंतकाल के बाद से ही वादी अपने हिस्से पर प्रतिवादी मांगीलाल के साथ कब्जे कास्त चला आ रहा है, शेष प्रतिवादी गण का उक्त शामलाती भूमि पर कोई कब्जा नहीं है ,क्योंकि वह अपने हिस्से की भूमि के बदले की भूमि अन्य खसरा संख्या में कब्जा लेकर काबीज कास्त है।

यह की वादी के खसरा नंबर 25 की रकबा 1.6000 एवं खसरा संख्या 27 की रकबा 0.1100 हेक्टेयर भूमि पर लंबे समय से एकल पजेशन में काबीज काश्त चला आ रहा है, उक्त हिस्से का

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
कनवास जिलाकोटा(राज०)

28/3/20

नजरी नक्शा ,नक्शा ट्रेस व खेवट खातूनी व गिरदावरी कि नकले रेवेन्यू रिकॉर्ड जिससे यह प्रमाणित होता है, कि उक्त भूमि पर वादी की फसलें खड़ी हुई है ,एवं उक्त फसलों कोकृषि उपज मंडी में विक्रय करता चला आ रहा है ,एवं उक्त भूमि से संबंधित अन्य विकास व संसाधन जो वादी ने विकास के लिए पैसा खर्च कर उक्त भूमि में सुधार किया है, जिससे प्रमाणित है कि उक्त खसरे की भूमि पर वादी ही काबीज है, मुताबिक रेवेन्यू रिकॉर्ड वादी का उक्त समस्त भूमि के अपने हिस्से बदस्तूर कायम है, शेष प्रतिवादी गण अपने–अपने हिस्से के अनुसार प्रत्येक खसरा की भूमियों पर काबिज है।

यह कि उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि में से प्रतिवादी गण स्टेट द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 8 लेन भरतमाला परियोजना के तहत खसरा संख्या 25 की रकबा 1.600 हेक्टेयर में से 0.9814 भूमि तथा खसरा संख्या 27 की संपूर्ण 0.1100 हेक्टेयर भूमि को मुताबिक प्रथक प्रथक दो नोटिस दिनांक 6/11/ 2019 के तहत अवाप्त किया जाकर उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन किलोमीटर 346.56 से किलोमीटर 450.464 के निर्माण के लिए अवाप्त कर उपयोग किया जाना है ,उक्त भूमि के अवाप्त किए जाने के बदले मुताबिक नोटिस खसरा संख्या 25 की रकबा 0.9814 का मुआवजा 16,05,563 अक्षरे सौलह लाख पांच हजार पांच सौ तिरेस्ठ रूपये तथा खसरा संख्या 27 की रकबा 0.1100 हेक्टेयर भूमि को अवाप्त किए जाने हेतु मुआवजा 2,33,953 अक्षरे दो लाख तैतीस हजार नौ सौ तिरेपन रूपये का प्राथमिक मुआवजा प्रदान किया जाना ज्ञात हुआ है, प्रतिवादी गण स्टेट के नोटिस से ऐसा प्रतीत होता है ,कि मात्र वादी एवं प्रतिवादी मांगीलाल के हिस्से कब्जे की भूमि को अवाप्त किया जा रहा है, एवं उक्त राशि का मुआवजा सभी वादी और प्रतिवादी गण को प्रदान किए जाने की कार्यवाही की जा रही है, जबकि मुताबिक कानूनी अधिकार इस भूमि का मुआवजा वादी एवं प्रतिवादी मांगीलाल काबिज हिस्से अनुसार वर्तमान कब्जे की भूमि के अनुसार ही प्रदान किया जाना है, कारण कि शेष प्रतिवादी गण में से किसी का भी वादी के कब्जे व हिस्से की भूमि पर कोई अधिकार नहीं है।

यहां की वादी ने उक्त नोटिस के जवाब में प्रतिवादी गण को सूचित किया विशेष तौर पर प्रतिवादी स्टेट को उक्त नोटिस के उज्र के रूप में आपत्ति प्रस्तुत की एवं मुआवजा निर्धारित किए जाने के आधार पर आपत्ति निस्तारण के निर्णय की नकल चाहि और मुआवजा रेवेन्यू रिकॉर्ड की बजाय कब्जे व हिस्से पर काबिज होने को आधार मानकर मुआवजा जो कि कम है ,को आधुनिक व वास्तविक बाजार मूल्य दर, डीएलसी रेट, व वादी के द्वारा उक्त खसरे की भूमि पर विकास के किए गए गत वर्षो में धन खर्च व भूमि अवाप्ति किए जाने से होने वाले डैमेज वर्क ,कंपनसेशन के तहत मुआवजा बढ़ाकर नई दर से व आपत्तियों व मांग को विधिवत सुनवाई कर अथवा आर्बिट्रेटर नियुक्त कर मात्र वादी को ही दिए जाने का निवेदन किया ,जिस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया उक्त अधिकार के हनन से व्यथित होकर यह वाद माननीय न्यायालय में पेश है।

यह की वादी और प्रतिवादी गण के मध्य पूर्व में मौखिक बंटवारा हो चुका था, और उक्त भूमि पर वादी का कब्जा है ,अवाप्त की जाने वाली भूमि वादी व प्रतिवादी गण अपने–अपने हिस्से में आने से वह वादी का कब्जा काशत होने से वादी उक्त भूमि के खातेदार होने व विभाजन करा कर अपना हिस्सा रेवेन्यू रिकॉर्ड में प्रथक से दर्ज कराकर व इंद्राज दुरुस्ती करा कर उक्त भूमि हिस्से व कब्जे को प्राप्त कर उक्त भूमि का बाद अवाप्ति सभी प्रकार का लाभ व मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है।

यह कि उपरोक्त भूमि पर प्रतिवादी गण का नाम सहवन से दर्ज होने से वादी ने प्रतिवादी गण को उक्त भूमि का विभाजन कर वादी के पूर्व में विभाजन में प्राप्त भूमि जिस पर वादी कब्जा कास्त चला आ रहा है, का वादी को खातेदार घोषित करने हेतु व प्रतिवादी गण द्वारा मुआवजा

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
कनवास जिलाकोटा(राज०)

प्राप्त करने को दिनांक 2 मार्च 2020 को कहा तो उनके द्वारा विभाजन कराने से इंकार करते हुए वादी को कब्जे वाली अवाप्त भूमि का मुआवजा प्राप्त कर लेने की धमकी दी

यह की भूमि की लैंडहोल्डर प्रतिवादी गण स्टेट होने से पक्षकार बनाया गया है, मामला अर्जेंट एवं इमीडिएट रिलीफ से संबंधित है, इस कारण धारा 80 सीपीसी के तहत नोटिस दिए जाने में लगने वाला समय वह होने वाले नुकसान से विकल्प के तहत धारा 80(2)सीपीसी के तहत अवधि मुक्ति हेतु प्रथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

यह कि चूंकि मामला संयुक्त खातेदारी की भूमि के हिस्से पर मौखिक बंटवारे के तहत लंबे समय से हिस्सा अनुसार काबीज कास्त होने से संबंधित है, इसका सत्यापन संबंधित हल्का पटवारी या अन्य निष्पक्ष कमिश्नर से मौका मुआयना कर रिपोर्ट मंगाए जाने हेतु प्रथक से प्रार्थना पत्र पेश है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी स्वीकार कर वादी के कब्जे व हिस्से के खसरा नंबर 25 की रकबा 1.600 हेक्टेयर में से अवाप्त शुदा रकबा 0.9884 हैक्टैयर के ग्राम तुमड़ा तहसील कनवास जिला कोटा खाता संख्या नया 61 वं पुराना 29 कुल किता 4 में से वादी के खसरा नंबर 25 के संपूर्ण हिस्से को व खसरा नंबर 27 के 0.1100 हेक्टेयर भूमि का विभाजन किया जाकर प्रर्थक किया जावे जिसकी रेवेन्यू रिकॉर्ड में इंद्रराज दुरस्ति की जाकर उक्त हिस्से की भूमि वादी की काश्तकारी घोषित किया जाकर एवं अवाप्ति की सूरत में उक्त दोनों खसरों के वर्तमान कब्जे के अनुसार हिस्से का समस्त मुआवजा वादी को प्रदान किया जाने की आज्ञा प्रदान कि जावे। अन्य प्रतिवादीगण को जरिए निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे की वादी के कब्जे कास्त व मुआवजा प्राप्ति में किसी भी प्रकार की मदाखलत,मजामहत व अन्य किसी प्रकार की रुकावट पैदा ना करें।

वाद पत्र दिनांक 11.03.2020 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलवी जारी की गई। प्रतिवादीगण की तामील बाद तामील होने के उपरान्त शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 26. 08.2020 को प्रतिवादी क्रम 03 लगायत 05 द्वारा जर्ये एडवोकेट पक्षकारान की आपसी सहमति से राजीनामा प्रस्तुत किया गया, एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी क्रम 03 लगायत 05 एवं स्व. केलाबाई पत्नि स्व. प्रभूलाल एवं सीताबाई पत्नी स्व. गोपाल के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम तुमडा पटवार हल्का कुराड तहसील कनवास जिला कोटा में वर्तमान खाता संख्या 64 के खसरा नबंर 24 की रकबा 1.90 है0, खसरा नबंर 25 की रकबा 1.60 है0, खसरा नबंर 26 की रकबा 1.70 है0, खसरा नबंर 27 की 0.11 है0, कुल किता 04 की रकबा 5.31 है0, स्थित है, जिसमें सीताबाई पत्नी गोपाल के नाम की जगह जमाबन्दी में ... .पत्नि स्व0 गोपाल दर्ज कर रखा हैं जिसकी मृत्यु दिनांक 11.06.1993 को हो चुकी है। जिसके वारिसान प्रतिवादी गण 3 लगायत 5 व वादी है,तथा खातेदार केली बाई पत्नि स्व0 प्रभुलाला की मृत्यु भी करीब 4 वर्ष पुर्व हो चुकी है जिसके वारिस मांगी बाई व शांतिलाल है,इसलिए अब सुन्दर बाई पत्नी गोपाल व सीता बाई पत्नी गोपाल का नाम खाते से हटाया जाये।

यह कि उपरोक्त वर्णित आराजी माल ग्राम तुमडा पटवार हल्का कुराड तहसील कनवास जिला कोटा में वर्तमान खाता संख्या नया 64 के खसरा नं024 की रकबा 1.90 है0, खसरा नंबर 25 की रकबा 1.60 हेक्टेयर है खसरा नंबर 26 की रकबा 1.70 है0 खसरा नंबर 27 की रकबा 0.11 है कुल कितना 4 कुल रकबा 5.31 हेक्टेयर आराजी में वर्तमान में प्रभु लाल के वारिसान शांतिलाल पुत्र प्रभुलाल हिस्सा 1/6 मांगी बाई पुत्री प्रभुलाल हिस्सा 1/6 के खातेदार है ,मांगीलाल पुत्र गोपाल हिस्सा1/3, रामनाथ पुत्र गोपाल हिस्सा 1/3 के खातेदारकृषक हो गए हैं

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
कनवास जिलाकोटा(राज०)

यह की वादी व प्रतिवादीगण नंबर 3 लगायत 5 ने आपसी सहमति एवं रजामंदी से उक्त आराजी का राजी खुशी विभाजन कर लिया है जिसमें माल ग्राम तुमडा पटवार हलका कुराड तहसील कनवास जिला कोटा की उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी रामनाथ पुत्र स्वर्गीय गोपाल के खसरा नंबर 25 की रकबा 1.60हेक्टेयर लगानी 12.80रू0 खसरा नंबर 27 की रकबा 0.11है0 लगानी 0.88रू0 कुल किता 2 की कुल रकबा 1.71 हेक्टेयर आराजी कुल लगानी 13.68 रू0 की तथा प्रतिवादी क्रम 3 मांगीलाल पुत्र गोपाल के खसरा नंबर 26 की रकबा 1.70 हेक्टेयर लगानी 13.60 रू0 तथा प्रतिवादी क्रत 4 शांतिलाल पुत्र स्वर्गीय प्रभु लाल व प्रतिवादी करण 5 मांगी बाई पुत्री प्रभु लाल के संयुक्त रूप से खसरा नंबर24 की रकबा 1.90है0 लगानी 15.20 रू0 की हिस्से में आई है इसका हिस्सा मुताबिक वादी व प्रतिवादी गण को खातेदार घोषित किया जावे व विभाजन किया जावें।

यह की वादी के हिस्से में आई खसरा नंबर 25 की रकबा 1.60 हेक्टेयर लगानी 12.80रू0 खसरा नंबर 27 की रकबा 0.11 हेक्टेयर लगानी 0.88रुपए कुल किता 2 की कुल रकबा 1.71 हेक्टेयर आराजी कुल लगानी 13.68रू0 की आराजी यदि 8 लेन सड़क मैं जावे तो उसका मुआवजा वादी रामनाथ प्राप्त करें ,जिसमें प्रतिवादी गण 3 लगायत 5 को कोई आपत्ति नहीं होगी तथा यदि 8 लेन सड़क में प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 5 के कब्जे कास्त के हिस्से की जमीन जाती है तो उसका मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 5 को होगा जिसमें वादी को कोई आपत्ति नहीं होगी अतः यह राजीनामा पेश कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा वाद व काउंटर क्लेम डिक्री किया जाकर विभाजन और घोषणा की डिग्री पारित की जावे व खाते में मुताबिक राजीनामा आराजी का विभाजन कर पृथक से खाता प्रथक से लगान निर्धारित की जाए। साथ ही प्रतिवादी क्रम 1 राजस्थान सरकार की और से तहसीलदार कनवास द्वारा दिनांक 26.08.2020 को आदेशिका के पृष्ठ पर अंकित किया कि वादी व प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 5 के प्रस्तुत राजीनामा के मुताबिक दावा डिक्री किऐ जाने में कोई राजहित प्रभावित नहीं होता है राज्य सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, राजीनामा मेरे समक्ष दोनो पक्षकारों को पढ़कर सुनाया गया,दोनो पक्षकारों द्वारा मुताबिक राजीनामा डिक्री किए जाने में कोई आपत्ति नहीं की राजीनामा तस्दीक कर बाद शामिल पत्रावली किया गया।

हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड प्रस्तुत दावे में अंकित तथ्यों पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिसके पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि वादी रामनाथ एवं प्रतिवादी कम 3 लगायत 5 द्वारा लोक अदालत की भावना एवं आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 26.08.2020 के अनुसार माल ग्राम तुमडा पटवार हलका कुराड तहसील कनवास जिला कोटा की उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी रामनाथ पुत्र स्वर्गीय गोपाल के खसरा नंबर 25 की रकबा 1.60हेक्टेयर लगानी 12.80रू0 खसरा नंबर 27 की रकबा 0.11है0 लगानी 0.88रू0 कुल किता 2 की कुल रकबा 1.71 हेक्टेयर आराजी कुल लगानी 13.68 रू0 तथा प्रतिवादी क्रम 3 मांगीलाल पुत्र गोपाल के खसरा नंबर 26 की रकबा 1.70 हेक्टेयर लगानी 13.60 रू0 तथा प्रतिवादी क्रम 4 शांतिलाल पुत्र स्वर्गीय प्रभु लाल व प्रतिवादी करण 5 मांगी बाई पुत्री प्रभु लाल के संयुक्त रूप से खसरा नंबर24 की रकबा 1.90है0 लगानी 15.20 रू0 राजीनामा अनुसार खाता विभाजन कर खातेदार कृषक घोषित किया जाना न्यायोचित समझते है, साथ ही उक्त खाते से सुन्दर बाई पत्नि गोपाल तथा सीता बाई पत्नि गोपाल का नाम उक्त आराजी से हटाया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
कनवास जिलाकोटा(राज०)

आदेश

अतः वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर ग्राम तुमड़ा की कृषि भूमि को वादी एवं प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 5 के हिस्से में निम्न प्रकार से खाता विभाजन कर खातेदार कृषक घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:—

क्रम सं0	राजस्व ग्राम का नाम	काश्तकार का विवरण	खसरा नं0	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
1	तुमड़ा	वादी रामनाथ पुत्र स्व0 गोपाल जाति मीणा निवासी तुमड़ा	25 27	1.60 0.11	12.80 0.88
		योग खसरा किता 02 की कुल रकबा 1.71 कुल लगानी 13.68 रूपये			
2	तुमड़ा	प्रतिवादी नं0 3 मांगीलाल पुत्र प्रभुलाल जाति मीणा निवासी तुमड़ा	26	1.70	13.60
3	तुमड़ा	प्रतिवादी नं0 4 शांतिलाल पुत्र प्रभुलाल जाति मीणा निवासी तुमड़ा व प्रतिवादी नं0 5 मांगी बाई पुत्री प्रभुलाल	24	1.90	15.20
		कुल योग खसरा किता 4 कुल रकबा 5.31 हे0 कुल लगानी 42.48 रूपये			

साथ ही उपरोक्त खाते से सुन्दर बाई पत्नी गोपाल एवं सीता बाई पत्नी गोपाल का नाम हटाये जाने के आदेश दिये जाते है मुताबिक निर्णय अंतिम डिक्री जारी की जावें।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजेश डागा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

न्यायालय बइजलास श्री राजेश डागा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

बउनवान

रामनाथ पुत्र स्व0 गोपाल जी, आयु 64 वर्ष, जाति मीणा, निवासी ग्राम तूमडा तहसील कनवास जिला कोटा
वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।
2. परियोजना अधिकारी, भारत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन. दिल्ली बडौदरा 8 लेन इन्द्रा बिहार कोटा राजस्थान।
3. मांगीलाल पुत्र स्व0 गोपाल।
4. शातिलाल पुत्री स्व0 प्रभूलाल जाति मीना निवासी ग्राम कादिहेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
5. मांगीबाई पुत्री स्व0 प्रभूलाल जाति मीना निवासी ग्राम कादिहेडा तहसील लाडपुरा।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र सिंह
प्रतिवादी क्रम 1 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।
प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 5 की और से एडवोकेट महेश कुमार मालव।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं. **21/2020** सन **2020** तारीख फैसला **26.08.2020 न्यायालय ब इजलास श्री राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी एडवोकेट **श्री नरेन्द्र सिंह वादी** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादी 01 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास तथा प्रतिवादी नं0 3 लगायत 5 की और से महेश कुमार मालव स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर ग्राम तुमड़ा की कृषि भूमि को वादी एवं प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 5 के हिस्से में निम्न प्रकार से खाता विभाजन कर खातेदार कृषक घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्रम सं0	राजस्व ग्राम का नाम	काश्तकार का विवरण	खसरा नं0	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
1	तुमड़ा	वादी रामनाथ पुत्र स्व0 गोपाल जाति मीणा निवासी तुमड़ा	25 27	1.60 0.11	12.80 0.88
		कुल योग खसरा किता 02 की कुल रकबा 1.71 कुल लगानी 13.68 रूपये			
2	तुमड़ा	प्रतिवादी नं0 3 मांगीलाल पुत्र प्रभुलाल जाति मीणा निवासी तुमड़ा	26	1.70	13.60
3	तुमड़ा	प्रतिवादी नं0 4 शांतिलाल पुत्र प्रभुलाल जाति मीणा निवासी तुमड़ा व प्रतिवादी नं0 5 मांगी बाई पुत्री प्रभुलाल	24	1.90	15.20
		कुल योग खसरा किता 4 कुल रकबा 5.31 हे0 कुल लगानी 42.48 रूपये			

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट

साथ ही उपरोक्त खाते से सुन्दर बाई पत्नी गोपाल एवं सीता बाई पत्नी गोपाल का नाम हटाये जाने के आदेश दिये जाते है **तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।** नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X .. खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **26.08.2020** माह **अगस्त 2020** को जारी की गई।

मोहर ....

राजेश डागा (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	....	------NIL------		स्टाम्प वकालतनामा	....	------NIL------	
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील	....		
महनताना वकील	....			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बाबत इजराय हुकमनामा	....		
बाबत इजराय हुकमनामा	....			मुतफर्रिक	....		
मुतफर्रिक	....			मीजान	....		
मीजान	....						

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

राजेश डागा (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास